

अति-महत्वपूर्ण/द्वारा फैक्स

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

जनपद इलाहाबाद।

पुलिस अधीक्षक,

कौशाम्बी/फतेहपुर/प्रतापगढ़।

कृपया पाया जा रहा है कि अपराधिक मामलों की विवेचना के मध्य पुलिस कर्मियों के अंकित हो रहे बयानों में कर्मियों का पीएनओ नम्बर अंकित नहीं किया जा रहा है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

2. अतएव मैं चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में आप समस्त अधीनस्थों को कड़े निर्देश दें कि किसी अपराधिक मामले की विवेचना के मध्य यदि किसी पुलिस कर्मियों का बयान अंकित किया जाता है, तो उस कर्मियों का पीएनओ नम्बर अवश्य अंकित किया जाये। साथ ही आरोप पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट कित्ता करने वाले विवेचकों द्वारा भी पीएनओ नम्बर अवश्य अंकित किया जाये।

(भगवान स्वरूप)

पुलिस उपमहानिरीक्षक

इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद

अशा0पत्रांक-सीओए/आर-निर्देश(विविध)/2014

दिनांक : इलाहाबाद : अप्रैल 10 , 2014

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद जोन इलाहाबाद को कृपया इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रक्रिया जोन के समस्त जनपदों में लागू करने पर विचार करने का कष्ट करें।